

‘गौतम अडानी, उनके भतीजे सागर अडानी ने राज्य सरकार के अधिकारियों को 2 हजार करोड़ की रिश्वत दी’

राहुल गाँधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अडानी ग्रुप के अध्यक्ष गौतम अडानी पर अमेरिकी कोर्ट द्वारा प्रस्तुत आरोप पत्र के आधार पर यह गंभीर आरोप लगाया

-डॉ. सतीश मिश्रा-

-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्लूगो-

नई दिल्ली, 21 नवम्बर। “आक्रमण इस नीति पर चलते हुए भाजपा ने अपनी सभी बंदुकें लोकसभा में विषय के नेता पर तान दी हैं, क्योंकि उन्होंने अमेरिकन प्रशासन द्वारा उद्घापित गौतम अडानी पर का आरोप लगाने पर नेट्रो भोजी से सवाल पूछा है।

आज दिन में राहुल गाँधी ने गौतम अडानी को गिरफ्तार करने की चांग की बयानों के बचाव के बाबत एक आरोपित गौतम अडानी पर रिश्वत के संपर्क में लिप्त होने का आरोप लगाया है।

प्रैस कॉन्फ्रेंस को सम्मेंथित करते हुए गाँधी ने प्रधानमंत्री नेट्रो भोजी पर अडानी को बचाव करने का आरोप लगाया और पूछा कि इन्हें सारे आरोप होने के बाद भी भारत सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करने की होगी।

गाँधी ने अडानी की गिरफ्तारी की मांग करते हुए कहा कि हम यह मुद्दा संसद में उठाएंगे और लोकसभा में

- राहुल गाँधी ने इस संदर्भ में यह भी कहा, कि झारखण्ड व दिल्ली के मुख्यमंत्री तो मिनटों में गिरफ्तार कर लिये गये थे, आरोपों के आधार पर। पर अडानी के खिलाफ अमेरिकी न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल होने के बाद भी कोई कार्यवाही नहीं हुई है, और न ही होगी।
- प्रत्युत्र में भाजपा प्रवक्ता संबिंद पात्रा ने कहा कि अगर अडानी इतने भ्रष्ट हैं, तो कांग्रेस की व कांग्रेस के गठबंधन की सरकारें, लाइन लगाकर उनसे अपने-अपने राज्य में पूँजी निवेश की अर्जी कर्यों देती हैं।
- भाजपा प्रवक्ता के अनुसार छत्तीसगढ़ व राजस्थान में अडानी ने क्रमशः 25 हजार करोड़ व 65 हजार करोड़ निवेश किये थे, जब भूपेश बघेल व अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे।
- भाजपा प्रवक्ता के अनुसार, राहुल गाँधी के पास कुछ नाम हैं, जो वो हर बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में उछलते हैं, प्रधानमंत्री भोजी को बदनाम करने के लिए। अगर, राहुल गाँधी के पास कुछ ठोस सबूत व जानकारी है तो वे न्यायालय में मुकदमा कर्यों नहीं करते मोदी सरकार के खिलाफ।
- अमेरिकी अदालत में प्रस्तुत आरोप पत्र के अनुसार, अडानी ग्रुप ने राज्य सरकार के अफसरों को भारी रिश्वत दी है, सोलर पावर प्लान्ट्स से विजली खरीदने के लिए।

विषय का नेता होने के कारण मेरी यह (अडानी) को प्रोट्रेक्ट कर रखे हैं और विषय का विवेचन हो रहा है कि हम यह मुद्दा उड़ाऊं। यह अमेरिकी भाजपा को समर्थन करता है विषय का विवेचन हो रहा है कि विषय का विवेचन हो रहा है कि हम यह मुद्दा संसद में उठाएंगे और लोकसभा में

गोगामेडी हत्याकांड के आरोपियों का प्रार्थना पत्र कोर्ट ने खारिज किया

जयपुर, 21 नवंबर। एन.आई.ए. मामलों की विषेष अदालत ने सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड मामले में अजमेर की हाई सिक्युरिटी जेल में बंद आरोपी को फैज़ी, रामवीर और ऊबन सिंह के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया है। आरोपियों ने जेल प्रशासन पर एस.टी.डी. फॉन से परिजनों से बात नहीं करने और उनसे मुलाकात नहीं करने का आरोप लगाया गया था। योगीराजीन अधिकारी मशरूर अलाम

- आरोपियों ने परिजनों से एस.टी.डी. पर बात कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था। जेल प्रशासन का कहना था, उन्हें किसी भी आरोपी ने फॉन पर बात कराने का प्रार्थना पत्र नहीं दिया।

खान अपने आदेश में कहा कि आरोपी के उद्धम सिंह की उसके परिजनों से बात कराई जा रही है। वहीं, नितिन च रामवीर के मामले में परिजनों से मुलाकात करने के कार्यों प्रार्थना पत्र जेल प्रशासन के समक्ष पेश नहीं किया गया है। इसके अलावा आरोपियों पर विविध क्रियाकलाप निवारण अधिनियम के तहत आरोप होने के कारण, फॉन सुविधा वंच की एस.पी.एस. और अरोपियों की ओर से पेश प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाता है।

प्रार्थना पत्र में कहा गया कि प्रार्थनों (शेष पृष्ठ 3 पर)

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

में भी पूर्णतया स्पष्ट एवं स्थापित है कि

राहुल ने कहा, “अब यह अमेरिका

<p

विचार बिन्दु

सनास्त कर्म का लक्ष्य आनंद की ओर है। -टैगोर

अपना घर-आंगन हो, सपना है, छूटना नहीं चाहिए

ज

स्टिस वी.आर. गवें और जस्टिस के वी. विश्वासन की सुधीम कोर्ट की खण्डील का दिनांक 13 नवम्बर, 2024 का निर्णय जिसमें बुलडोजर एक्सन पर दिशा निर्देश दिये हैं, कि अद्युत और पढ़नीय निर्णय है। आचार संहिता के लिए 'ऐन कमाउन्डोन' के बाबत सुनाते आए हैं। इन्हीं की लाइन पर न्याय के बाबत जानकारी के हेतु 'पीट' पढ़ते हैं। इन्हीं की लाइन पर न्याय के बाबत जानकारी के लिये हमें Direction in the matter of demolition of structures v. and ors., Writ Petition (Civil) No.295/2022 (and connected cases) फूना चाहिए। इस निर्णय में माननीय खण्डील ने अनुच्छेद 21 की कई व्याख्याओं में एक नई व्याख्या जोड़ते हुये कहा है कि Shelter 21 न्याय की विशेषता है कि उसमें जब की आत्मा की आवाज सुनाई दे और निर्णय का यह सनातन पक्ष उक्त निर्णय में प्रतिष्ठानित हो रहा है।

माननीय अधिकारों के उल्लंघन का यह केस है जिसमें देश के लोगों के साथ, अन्य लोगों ने भी चिनाये अधिकारों की है।

जस्टिस वी.आर. गवें ने अपने 95 पृष्ठों के निर्णय का प्रारम्भ देश के यशस्वी कवि प्रदीप प्रकाश की कविता से किया है। कविता के लिये कहा गया है हमय से उक्त का निस्तराण उस समय होता है जब वेदना पैदा होती है, दिल टूटता है किसी ने सच कहा है, "आह से निकला होगा गान तभी बनी होगी," कविता 'अनजान'। कविता का पद निम्नलिखित है:-

अपना घर हा, अपना आंगन हो,

इस घराव में हर कोई जीता है।

इसमें दिल को चाहत है कि घर,

का सपना कभी न छूट।

ऐसा मालूम होता है न्यायमूर्ति गवें का दिल केस के तथ्यों से रो पड़ा हो और उस पीड़ा ने निर्णय को जन्म दिया है जो उपर्युक्तों के लिये भावांजली है। यह सच है घर सबके लिये सपना है उनका आश्रय है। उनके सम्मान की निशानी है। आश्रय मौलिक अधिकार है, जो बात को आपको निर्णय में सिद्धान्त के लिये दिलाई दी जाती है। इसी विवाद का दूसरा पक्ष है क्या कार्यालिका को यह अधिकार है कि वह अपराधी को आशयाना को जिसमें रखने का अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं कि छोटा तुकान भी उसे झक्कोंदा दे, जो वर्षों का पानी घर में घुस जावे कितू बालाकों का फोज भी उसमें प्रश्न नहीं कर सकते जब तक दस्त का कानून प्रवर्त को न्याय संतान न मानो।

बुलडोजर के बेशक एवं सर्वोच्च न्यायालय में जो आरपाधी (Accused) को दिलीपीली की गई थी विवाद को लिये बताया जाता है। इसी विवाद का दूसरा पक्ष है क्या कार्यालिका को यह अधिकार है कि वह अपराधी को आशयाना को जिसमें रखने का अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं कि छोटा तुकान भी उसे झक्कोंदा दे, जो वर्षों का पानी घर में घुस जावे कितू बालाकों का फोज भी उसमें प्रश्न नहीं कर सकते।

पीट ने माना है बुलडोजर से सम्पत्तियों को तोड़ा, दहाना अजाकतों का कुर्ता है। ऐसे कुर्तों के लिये कानून व संविधान में कोई जाह नहीं है। यह कृत्य कानून के शासन पर हमला माना जावेगा, क्षमा योग्य नहीं है। यह कृत्य कानून की आपाव एवं चाँद देता है। गाज एवं विवरत अपराध प्रविष्ट जानों की आशा है, उनका सुझा करवा है। केवल इस आपाव एवं दुकान तोड़ना कि व्यक्ति किसी आपाव का दोषी है यह कृत्य Due Process of Law की परिमाण में नहीं आता न्यायालीयों ने सदृश रूप से अपने निर्णय में लिखा है कि सजा को आपावाना तोड़ना होगा।

यदि हम 95 पृष्ठ के लिये विवाद के पांचों के लिये जावेगा तो क्षमा के लिये कर्तव्य को लिये विवाद के लिये विवादी को लिये जावेगा। आपाव योग्य अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं। इसी विवाद का दूसरा पक्ष है क्या कार्यालिका को यह अधिकार है कि वह अपराधी को आशयाना को जिसमें रखने का अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं कि छोटा तुकान भी उसे झक्कोंदा दे, जो वर्षों का पानी घर में घुस जावे कितू बालाकों का फोज भी उसमें प्रश्न नहीं कर सकते।

यदि हम 95 पृष्ठ के लिये विवाद के पांचों के लिये जावेगा तो क्षमा के लिये कर्तव्य को लिये विवाद के लिये विवादी को लिये जावेगा। आपाव योग्य अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं। इसी विवाद का दूसरा पक्ष है क्या कार्यालिका को यह अधिकार है कि वह अपराधी को आशयाना को जिसमें रखने का अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं कि छोटा तुकान भी उसे झक्कोंदा दे, जो वर्षों का पानी घर में घुस जावे कितू बालाकों का फोज भी उसमें प्रश्न नहीं कर सकते।

यदि हम 95 पृष्ठ के लिये विवाद के पांचों के लिये जावेगा तो क्षमा के लिये कर्तव्य को लिये विवाद के लिये विवादी को लिये जावेगा। आपाव योग्य अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं। इसी विवाद का दूसरा पक्ष है क्या कार्यालिका को यह अधिकार है कि वह अपराधी को आशयाना को जिसमें रखने का अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं कि छोटा तुकान भी उसे झक्कोंदा दे, जो वर्षों का पानी घर में घुस जावे कितू बालाकों का फोज भी उसमें प्रश्न नहीं कर सकते।

यदि हम 95 पृष्ठ के लिये विवाद के पांचों के लिये जावेगा तो क्षमा के लिये कर्तव्य को लिये विवाद के लिये विवादी को लिये जावेगा। आपाव योग्य अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं। इसी विवाद का दूसरा पक्ष है क्या कार्यालिका को यह अधिकार है कि वह अपराधी को आशयाना को जिसमें रखने का अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं कि छोटा तुकान भी उसे झक्कोंदा दे, जो वर्षों का पानी घर में घुस जावे कितू बालाकों का फोज भी उसमें प्रश्न नहीं कर सकते।

यदि हम 95 पृष्ठ के लिये विवाद के पांचों के लिये जावेगा तो क्षमा के लिये कर्तव्य को लिये विवाद के लिये विवादी को लिये जावेगा। आपाव योग्य अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं। इसी विवाद का दूसरा पक्ष है क्या कार्यालिका को यह अधिकार है कि वह अपराधी को आशयाना को जिसमें रखने का अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं कि छोटा तुकान भी उसे झक्कोंदा दे, जो वर्षों का पानी घर में घुस जावे कितू बालाकों का फोज भी उसमें प्रश्न नहीं कर सकते।

यदि हम 95 पृष्ठ के लिये विवाद के पांचों के लिये जावेगा तो क्षमा के लिये कर्तव्य को लिये विवाद के लिये विवादी को लिये जावेगा। आपाव योग्य अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं। इसी विवाद का दूसरा पक्ष है क्या कार्यालिका को यह अधिकार है कि वह अपराधी को आशयाना को जिसमें रखने का अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं कि छोटा तुकान भी उसे झक्कोंदा दे, जो वर्षों का पानी घर में घुस जावे कितू बालाकों का फोज भी उसमें प्रश्न नहीं कर सकते।

यदि हम 95 पृष्ठ के लिये विवाद के पांचों के लिये जावेगा तो क्षमा के लिये कर्तव्य को लिये विवाद के लिये विवादी को लिये जावेगा। आपाव योग्य अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं। इसी विवाद का दूसरा पक्ष है क्या कार्यालिका को यह अधिकार है कि वह अपराधी को आशयाना को जिसमें रखने का अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं कि छोटा तुकान भी उसे झक्कोंदा दे, जो वर्षों का पानी घर में घुस जावे कितू बालाकों का फोज भी उसमें प्रश्न नहीं कर सकते।

यदि हम 95 पृष्ठ के लिये विवाद के पांचों के लिये जावेगा तो क्षमा के लिये कर्तव्य को लिये विवाद के लिये विवादी को लिये जावेगा। आपाव योग्य अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं। इसी विवाद का दूसरा पक्ष है क्या कार्यालिका को यह अधिकार है कि वह अपराधी को आशयाना को जिसमें रखने का अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं कि छोटा तुकान भी उसे झक्कोंदा दे, जो वर्षों का पानी घर में घुस जावे कितू बालाकों का फोज भी उसमें प्रश्न नहीं कर सकते।

यदि हम 95 पृष्ठ के लिये विवाद के पांचों के लिये जावेगा तो क्षमा के लिये कर्तव्य को लिये विवाद के लिये विवादी को लिये जावेगा। आपाव योग्य अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं। इसी विवाद का दूसरा पक्ष है क्या कार्यालिका को यह अधिकार है कि वह अपराधी को आशयाना को जिसमें रखने का अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं कि छोटा तुकान भी उसे झक्कोंदा दे, जो वर्षों का पानी घर में घुस जावे कितू बालाकों का फोज भी उसमें प्रश्न नहीं कर सकते।

यदि हम 95 पृष्ठ के लिये विवाद के पांचों के लिये जावेगा तो क्षमा के लिये कर्तव्य को लिये विवाद के लिये विवादी को लिये जावेगा। आपाव योग्य अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं। इसी विवाद का दूसरा पक्ष है क्या कार्यालिका को यह अधिकार है कि वह अपराधी को आशयाना को जिसमें रखने का अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं कि छोटा तुकान भी उसे झक्कोंदा दे, जो वर्षों का पानी घर में घुस जावे कितू बालाकों का फोज भी उसमें प्रश्न नहीं कर सकते।

यदि हम 95 पृष्ठ के लिये विवाद के पांचों के लिये जावेगा तो क्षमा के लिये कर्तव्य को लिये विवाद के लिये विवादी को लिये जावेगा। आपाव योग्य अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं। इसी विवाद का दूसरा पक्ष है क्या कार्यालिका को यह अधिकार है कि वह अपराधी को आशयाना को जिसमें रखने का अधिकार है, जो बात की छत झटकी करते हैं कि छोटा तुकान भी उसे झक्कोंदा दे, जो वर

सी.ई.ओ. ने गंदे पानी की खेती पाये जाने पर सज्जियों को नष्ट करवाने को कहा

बीकानेर, (कासं)। जिला स्तरीय

जनसुनवाई एवं प्रश्नपत्र को कलेक्टर

सभागार में आयोजित की गई।

जिला पर्यावरण के मुख्य कार्यकारी

अधिकारी द्वारा जामाल पर

प्रभावी कार्यवाही करते हुए समाधान के

लिए आवश्यक कदम उठाएं।

जनसुनवाई का उद्देश्य आपत्ति को

परिदानाओं और समयांगता को

पारदर्शी एवं संवेदनशीलता से सुनना

एवं उनका तत्वरित समाधान करना है।

साथ ही प्रकरणों के निस्तारण में

संतुष्टि दर बढ़ाने के प्रयास किए जाएं।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 158

प्रकरणों प्राप्त हुए। इस दौरान मुख्य

कार्यकारी अधिकारी ने विभिन्न प्रकरणों

पर तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गंदे पानी से

संबंधित उम्मीद जाने की शिकायत पर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने नगर

निगम एवं स्तरीय जनसुनवाई को संस्कृत

निरीक्षण कर जांच के निर्देश दिए। गंदे

पानी की खेती पाए जाने पर सज्जियों

को नष्ट करवाने का कहा। रिडमलसर

में विभाग की भूमि पर अतिक्रमण

व अवैध खनन की शिकायत पर

खिन्न एवं उनका विभाग को भूमि को

कब्जा सुरक्षित करने के निर्देश दिए।

भविष्य में जमीन पर अतिक्रमण

ना हो, इसके लिए तांबंदी चारों ओर

को सुक्षित रखना। यहाँ एक समत

नगर में जिला स्तरीय उत्तरकांड का

अवैध भंडारण होने की शिकायत पर

कृषि विभाग को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत

करने के निर्देश दिए।



बीकानेर कलेक्टर सभागार में जिला परिषद सीईओ सोहनलाल ने जिला स्तरीय जनसुनवाई में प्रकरणों की सुनवाई की।

जिले में लाइसेंस विधीन एवं बिना

फिटेस सर्टिफिकेट के तिप्पणी

वाहन संचालन की शिकायत पर

परिवहन एवं यातायात विभाग को

संस्कृत अधिकारी चलाक ऐसे बाहों

का चालान काटने के विभाग जब जल्दी

करने के कहा। साथ ही बाल

वाहिनियों में निर्वाचित संख्या से ज्यादा

बच्चे बैठे न हो, यह सुनिश्चित किया

जाए।

रानी बाजार चौपाल कट्टा स्थित

होमोपौथिक अधिकारी एवं धाराया

उपलब्ध होने के बाबजूद भी उनका

वितरण न करने की शिकायत पर

विभाग को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत

करने के निर्देश दिए।

जिले में लाइसेंस विधीन एवं बिना

फिटेस सर्टिफिकेट के निर्देश दिए।

वाहन संचालन की शिकायत पर

परिवहन एवं यातायात विभाग को

संस्कृत अधिकारी अधिकारी अधिकारी

तो तुरंत कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

जिला परिषद के निर

MARUTI SUZUKI

TRUE VALUE

वाइल्ड रेंज के साथ बेहतरीन क्वालिटी मिलेगी
सिएफ ट्रू व्यूल व्यूल




CELEBRATING
50 LAKH
HAPPY FAMILIES

376 क्वालिटी
चेक पॉइंट्स



3 फ्री सर्विस और
1 साल तक की वारंटी*



वेरिफाइड
कार हिस्ट्री



अधिक
जानने के लिए
स्कैन करें

*नियम और शर्तें लागू। Verified Car History और Warranty केवल श्रम शुल्क पर लागू। वाहन पर काला शीशा प्रकाश प्रभाव के कारण होता है।
पृष्ठात के लिए कॉल करें 1800 102 1800 | या जारै यहाँ www.marutisuzkitruevalue.com

BIKANER: OPPOSITE BBS SCHOOL, JAIPUR ROAD, BIKANER, AURIC MOTORS PVT. LTD.: 8875911509, 8003098512 | NEAR KALPATRU WAREHOUSE, NH-15, SRIGANGANAGAR, AURIC MOTORS: 7412059862, 8696543585 | NH-89 JAISALMER ROAD, BIKANER, DUDI MOTORS: 8306993375.